उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
संख्या: 10/2025/बी-1-835/दस-2025-12(2)/2025
लखनऊ:दिनाँक: 19 अगस्त, 2025
कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि-पत्र

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक साहित्य के खण्ड-4 "राजस्व एवं पूँजी लेखे की प्राप्तियों के ब्यौरेवार अनुमान" के लेखा शीर्ष "0075-विविध सामान्य सेवायें" के अन्तर्गत निम्नवत लघु शीर्ष एवं उप शीर्ष खोले जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं :-

"108-गारंटी शुल्क
01- गारंटी शुल्क की प्राप्तियाँ"

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या: 10/2025/बी-1-835(1)/ दस-2025-12(2)/2025 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ. प्र. प्रयागराज।
2- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ.प्र. शासन।
3- निदेशक, कोषागार, उ. प्र. जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्तानुसार एन.आई.सी. द्वारा संशोधित लेखाशीर्ष को कोषागारों को तत्काल भिजवाने का कष्ट करें।
5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक साहित्य के खण्ड-4 की बजट फाइल में उक्तानुसार संशोधन कराने का कष्ट करें।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 को इस आशय से प्रेषित कि वे इस कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि-पत्र की प्रतियाँ सभी सम्बन्धित विभागों को भिजवाये जाने की कार्यवाही करें।
7- प्रोग्रामर ग्रेड-1, वित्तीय प्रबंध एवं बजट निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक साहित्य के खण्ड-4 की बजट फाइल में उक्तानुसार संशोधन करें।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।